

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-1164-2113

रा.निग.क्र. /2013

1. तोकीर अहमद आत्मज इस्ताक अली,
2. श्रीमती मुजाहिरा बेगम पत्नी इस्ताक अली
कृषक ग्राम-अगरिया निवासी-गौहरगंज,
तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन.

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र.शासन

द्वारा-कलेक्टर महोदय, रायसेन।

नीलोफर पुत्री अंसार अहमद

निवासी-गौहरगंज तह.गौहरगंज जिला-रायसेन

.....उत्तरदातागण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय तहसीलदार तहसील गौहरगंज के द्वारा प्र.क्र.11/अ-70/2011-12
में पारित आदेश दिनांक 03.12.2012 से दुखी होकर आदेश की प्रमाणित प्रति
प्राप्त कर समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा
रही है ।

(Signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten notes: गुमानाजी महोदय, 21/12/13)

(Handwritten notes: मध्य अधीक्षक, कार्यालय कनिष्ठ, भोपाल)


(Handwritten notes: 21/12/13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1164-एक/13

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-7-2016	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 3-12-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 14-5-2013 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-7-2014 को अवैध आधिपत्य हटाया जाकर मूल भूमिस्वामी को कब्जा सौंपने के निर्देश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>